

<p>Description of Scheme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Issuing of manufacture certificate, micro nutrients mixture (Raj. Grade)/ renewal and amendment • Issuing of new fertilizer authorization letter, renewal and amendment 	<p>योजना का उद्देश्य</p> <ul style="list-style-type: none"> • सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राज.ग्रेड)/विनिर्माण प्रमाण पत्र जारी करने, नवीनीकरण व संशोधन • नवीन उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र, नवीनीकरण व संशोधन
<p>पात्रता</p> <p>आवेदक को उर्वरक प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक हैं:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक या • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन में विज्ञान स्नातक या • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में डिप्लोमा • राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम) और अन्य • सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों से न्यूनतम छह माह की अवधि का कृषि इनपुट में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। • परन्तु ऐसे डीलर, जिन्हें उर्वरक (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2015 के प्रवृत्त होने से पूर्व प्राधिकरण पत्र अनुदत्त किया गया है, से उनके प्राधिकरण पत्र के नवीनीकरण के समय उक्त अर्हताओं को रखने की अपेक्षा नहीं होगी। • परन्तु यह और कि उक्त अर्हताएं रजिस्ट्रीकृत कृषि सहकारी संस्थाओं और राज्य विपणन परिसंघों को लागू नहीं होंगी, किन्तु वे पूर्वोक्त अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को नियोजित करेंगे। 	
<p>Supporting Documents to be provided along with application form</p> <p>*** (Mention mandatory-Yes/No clearly)</p> <p>For Manufacture and Sale</p> <p>1. For Manufacturers of the State</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Application form A-1 (Two copy) 2. Permission letter of fertilizer manufacture by GOI/Industrial dept. 3. NOC of state pollution board 4. Nomination of person for compliance of clause 24 of FCO, 1985 by Board of Directors on affidavit with ID proof. 5. Consent of Nodal Officer on affidavit with ID proof. (AADHAR Card) 6. List of directors/MOA. 7. Map of Laboratories/Godown. 8. List of equipments as per clause 21A of FCO, 1985. 9. Fees for rs. 2250/- by challan. 10. Production Capacity. 11. Inspection report of laboratory by Departmental Officer. 12. Directors AADHAR Card 13. Applicant's Recent Photo & AADHAR Card 14. Applicant have Education qualification (As per Govt. of India Gazette Notification) for issuing of New Fertilizer Sale permission letter and manufacturing certificate. <p>2. Sale permission For Manufacturers out of the State</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Application form A-1 (Two copy) 2. Copy of license/authorization letter issued by concern state or source of fertilizer if imported. 3. Quality Report of fertilizers. 	<p>आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज उर्वरक विक्रय एवं विनिर्माण हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य के निर्माताओं के लिए:- (समस्त प्रकार के उर्वरकों हेतु विक्रय अनुमति) 1. आवेदन प्रपत्र "क" 1 (दो प्रतियों में) 2. भारत सरकार/उद्योग विभाग की उर्वरक विनिर्माण की अनुमति पत्र। 3. राज्य प्रदूषण मण्डल का अनापति प्रमाण पत्र। 4. गुण नियंत्रण हेतु एफसीओ, 1985 के खण्ड-24 के अंतर्गत नोडल अधिकारी को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से अधिकृत किया जाना चाहिए मय पहचान पत्र की प्रति। 5. नोडल अधिकारी की सहमति शपथ पत्र पर मय पहचान पत्र की प्रति। (आधार कार्ड) 6. निदेशकों की सूची/मीमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स। 7. प्रयोगशाला/गोदामों का नक्शा। 8. प्रयोगशाला उपकरणों की सूची। (एफसीओ 1985 खण्ड 21 ए के अन्तर्गत) 9. अनुज्ञा पत्र फीस 2250/चालान की प्रति। 10. उत्पादन क्षमता। 11. प्रयोगशाला निरीक्षण की रिपोर्ट विभागीय अधिकारी की। 12. निदेशकों के आधार कार्ड 13. आवेदक की नवीनतम फोटो व आधार कार्ड। 14. उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र व विनिर्माण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक के शैक्षणिक योग्यता (भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन अनुसार) <p>2. राज्य से बाहर के निर्माताओं हेतु विक्रय अनुमति:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन प्रपत्र "क" 1 (2 प्रतियों में) 2. संबंधित राज्य द्वारा जारी अनुज्ञापत्र की प्रति/स्रोत पत्र (आयात)। 3. उत्पादित उर्वरक की गुणवत्ता रिपोर्ट। 4. गुण नियंत्रण हेतु एफसीओ, 1985 के खण्ड-24 के अंतर्गत नोडल अधिकारी को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर की ओर से शपथ पत्र के

4. Nomination of person for compliance of clause 24 of FCO, 1985 by Board of Directors on affidavit with ID proof.
5. Consent of Nodel Officer on affidavit with ID proof. (AADHAR Card)
6. List of directors/MOA.
7. Fees for rs. 2250/- by challan..
8. Map of selected area for sale and storage
9. Copy of Rent dead/Copy of ownership document.
10. Directors AADHAR Card
11. Applicant's Recent Photo & AADHAR Card
12. Applicant have Education qualification (As per Govt. of India Gazette Notification) for issuing of New Fertilizer Sale permission letter and manufacturing certificate.

3. Sale permission For Wholesalers(On the basis of 'O' Form

1. Application form A-1(Two copy)
2. Copy of Rent dead/Copy of ownership document.
3. Affidavit:-
 - In case of Company:- Copy of affidavit and ID proof of authorized Officer
 - In case of Partnerships:- Affidavit for one partner by all partners and Copy of ID Proof
4. In case of single proprietor: Copy of affidavit and ID proof of proprietor. (AADHAR Card)
5. Form 'O' by fertilizer company with type of fertilizer & sale area.
6. Fees for Rs. 2250/- by challan.
7. Copy of Partnerships Dead.
8. Directors AADHAR Card
9. Applicant's Recent Photo & AADHAR Card
10. Applicant have Education qualification (As per Govt. of India Gazette Notification) for issuing of New Fertilizer Sale permission letter and manufacturing certificate.

4. For Manufacturer certificate:- Micronutrient mixture (Rajasthan Grade)/

1. Application form 'D'(Two copy)
2. Permission letter of fertilizer manufacturing by Government of India/industrial department
3. NOC of state pollution board
4. Nomination of person for compliance of clause 24 of FCO, 1985 by Board of Directors on affidavit with ID proof.

- माध्यम से अधिकृत किया जाना चाहिए मय पहचान पत्र की प्रति।
5. नोडल अधिकारी की सहमति शपथ पत्र पर मय पहचान पत्र की प्रति। (आधार कार्ड)
6. मीमोरैंडम ऑफ आर्टिकल्स/निदेशकों की सूची।
7. अनुज्ञापत्र हेतु फीस 2250/चालान की प्रति।
8. विक्रय व भण्डार हेतु चयनित स्थल का नक्शा।
9. विक्रय/भण्डार स्थल किराया का होने की स्थिति में किरायानामा की प्रति एवं स्वयं का होने पर स्वामित्व के दस्तावेजों की प्रति।
10. निदेशकों के आधार कार्ड
11. आवेदक की नवीनतम फोटो व आधार कार्ड
12. उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र व विनिर्माण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक के शैक्षणिक योग्यता (भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन अनुसार)

3. थोक विक्रेताओं हेतु (0 फार्म के आधार पर स्ट्रॉट पत्र) विक्रय अनुमति:-

1. आवेदन प्रपत्र "क 1" (2 प्रतियों में)
2. विक्रय/भण्डार स्थल किराया का होने की स्थिति में किरायानामा की प्रति एवं स्वयं का होने पर स्वामित्व के दस्तावेजों की प्रति।
3. शपथ पत्र:-
 - कम्पनी की स्थिति में:- अधिकृत अधिकारी का शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ की प्रति।
 - पार्टनरशिप की स्थिति में:- सभी पार्टनर्स द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अधिकृत किसी एक पार्टनर का शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ की प्रति।
4. एकल प्रोपराइटरशिप की स्थिति में प्रोपराइटर का शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ की प्रति। (आधार कार्ड)
5. 'ओ' फार्म उर्वरक निर्माता कम्पनी द्वारा जारी जिसमें उर्वरक का प्रकार एवं विक्रय क्षेत्र अंकित हो।
6. अनुज्ञापत्र फीस 2250/चालान की प्रति।
7. पार्टनरशिप होने पर डीड की प्रति।
8. निदेशकों के आधार कार्ड
9. आवेदक की नवीनतम फोटो व आधार कार्ड
10. उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र व विनिर्माण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक के शैक्षणिक योग्यता (भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन अनुसार)

4. विनिर्माण प्रमाणपत्र हेतु:-

- सूक्ष्म तत्व मिश्रण (राजस्थान ग्रेड)/**
1. आवेदन प्रपत्र "घ" (दो प्रतियों में)
 2. भारत सरकार/उद्योग विभाग की उर्वरक विनिर्माण की अनुमति पत्र।
 3. राज्य प्रदूषण मण्डल का अनापत्ति प्रमाणपत्र।
 4. गुण नियंत्रण हेतु एफसीओ, 1985 के खण्ड-24 के अंतर्गत नोडल अधिकारी को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से अधिकृत किया जाना चाहिए मय

